

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 286 OR 287 OF THE BNSS 2023

IN THE COURT OF – Chief Judicial Magistrate Panna, Distt. - Panna M.P.

CASE NO- 657/26

Cpmplaint or report made on-----Name and address of the complainant -----

Name, parentage, caste and address of accused

अभियुक्त का नाम— श्यामसुंदर पिता रामआसरे अहिरवार उम्र-50वर्ष
निवासी ग्राम गांधीग्राम थाना कोतवाली जिला पन्ना म0प्र0

The offence complained of, and date of its alleged commission--

आपके विरुद्ध अभियोग है कि आपने दिनांक 05.07.2026 को 20.30 बजे थाना थाना कोतवाली जिला पन्ना अंतर्गत गल्लामंडी के आगे अशोक के पेड़ के पास पन्ना जिला पन्ना में अवैध रूप से बिना वैध अनुज्ञप्ति के देशी मदिरा प्लेन के 17 पॉव शराब अपने आधिपत्य में रखी। इस प्रकार तुमने वह कार्य किया जो कि धारा-34(1)(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ।

तुम्हें अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो ।


रीतिका (मिश्रा) पाठक
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला पन्ना मध्य प्रदेश

The plea of the accused and his examination (if any)----

अभियुक्त का अभिवाक

हैं मुझे अपराध स्वीकार है



श्यामसुंदर


(रीतिका(मिश्रा)पाठक
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला पन्ना मध्य प्रदेश

The offence proved If any and in case under clause (d), clause (e), clause(f) or clause (g), of sub-section (i) of Section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

-: निर्णय :-

आज दिनांक 13.08.2026 को घोषित किया गया

(1) अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया अपराध स्वीकार करने से अभियुक्त को धारा-34(1)(क) आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। अपराध का सीधा संबंध सार्वजनिक सुरक्षा से होने के कारण अभियुक्त को धारा 3 व 4 अपराधी परीवीक्षा अधिनियम के उपबंधों का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा, किंतु अभियुक्त की आयु प्रथम अपराध सहजतापूर्वक अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुये दण्ड का सुधारात्मक प्रभाव पड़ने वाला दृष्टिकोण अपनाते हुये धारा-34(1)(क) आबकारी अधिनियम के अपराध में 1500/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में आरोपी एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतने का दायी होगा।

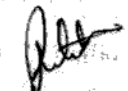
(2) जप्शुदा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट हो।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

दिनांकित कर घोषित किया गया।)

(मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।)


रीतिका(मिश्रा)पाठक
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला पन्ना मध्य प्रदेश


रीतिका (मिश्रा)पाठक
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला पन्ना मध्य प्रदेश